

निःशुल्क और अनिवार्य बालनशिक्षा का अनिवार्य अनिर्णय, 2009

विनियमन

विनियमन

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. संनक्षिप्तता, नवस्तार और प्रारंभिक।
2. परिशिष्ट।

अध्याय 2

निःशुल्क और अनिवार्य नशिक्षा का अनिवार्य

3. निःशुल्क और अनिवार्य बालनशिक्षा का अनिवार्य।
4. ऐसे बालकों, जिन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा है, जिन्होंने प्रारंभिक नशिक्षा पूरी नहीं की है, के नए विशेष उपबंध। 5. अनिवार्य नशिक्षा के अंतर्गत अनिवार्य।

अध्याय 3

समुचित सरकार, स्थानीय प्रशासनिक और माता-पिता के कर्तव्य

6. समुचित सरकार और स्थानीय प्रशासनिक नशिक्षा के अंतर्गत कर्तव्य।
7. नवजात और अन्तर्गत नशिक्षा के अंतर्गत कर्तव्य।
8. समुचित सरकार के कर्तव्य।
9. स्थानीय प्रशासनिक के कर्तव्य।
10. माता-पिता और संरक्षक के कर्तव्य।
11. समुचित सरकार द्वारा नशिक्षा के नए व्यवस्थापन।

अध्याय 4

नवजात और नशिक्षा के उत्तराधिकार

12. निःशुल्क और अनिवार्य नशिक्षा के नए व्यवस्थापन के उत्तराधिकार की सीमा।
13. प्रवेश के नए दस्तावेज प्रदान करने और अतिरिक्त प्रदान करने का विनियम।
14. प्रवेश के नए आरक्षण।
15. प्रवेश से इंकार करने का विनियम।
16. परीक्षा और कक्षा में नशिक्षा के अंतर्गत कर्तव्य।
17. बालक के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के अंतर्गत कर्तव्य।
18. माता-पिता और अनिवार्य नशिक्षा के अंतर्गत कर्तव्य।
19. नवजात के माता-पिता के कर्तव्य।
20. अतिरिक्त नशिक्षा के अंतर्गत कर्तव्य।
21. नवजात के अंतर्गत कर्तव्य।

ii

विनियमन

22. नवजात नवजात के अंतर्गत कर्तव्य।
23. नशिक्षा के अंतर्गत कर्तव्य और सेवा के अंतर्गत कर्तव्य।
24. नशिक्षा के अंतर्गत कर्तव्य और नशिक्षा के अंतर्गत कर्तव्य।
25. छात्र-नशिक्षा के अंतर्गत कर्तव्य।
26. नशिक्षा के अंतर्गत कर्तव्य के अंतर्गत कर्तव्य।
27. गैर-नशिक्षा के अंतर्गत कर्तव्य के अंतर्गत कर्तव्य।
28. नशिक्षा के अंतर्गत कर्तव्य के अंतर्गत कर्तव्य।

अध्याय 5

प्रारंभिक नशिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा दस्तावेज। 29.

पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रदर्शक।

30. परीक्षा और समाप्ति प्रमाण पत्र।

अध्या 6

बालकों के अनिवार्य शिक्षा का संरक्षण

31. बालक के नश्वर शिक्षा के अनिवार्य को मानिटर करे।

32. नश्वर कार्यों को पूरा करे।

33. राष्ट्रीय सलाहकार पररषिकागठि।

34. राजस्व सलाहकार पररषिकागठि।

अध्या 7

प्रकीर्ण

35. निवेशि करी की शनत।

36. अनिवार्य के नल ए पूवयमं री।

37. सिव पूवयक की गई कारयवाई के नल ए संरक्षण।

38. समुनित सरकार की निमिर्बां की शनत।

39. करिठाइरों को पूरा करी के केन्द्रीय सरकार की शनत।

अनुसूिी।

निःशुल्क और अनिवार्य बालनशिक्षा का अनिवार्य अनिनिर्म, 2009

(2009 का अनिवार्य संस्करण 35)

[26 अगस्त, 2009]

छहवषयसे िोहिवषयतक की आरु के सि बालकों के न
लए
निःशुल्क और अनिवार्य नशिक्षा का उपबंि
कर के नलए
अनिनिर्म

िारत गणराज्य के साठवें वषयमें संसिद्वारा निमंनलनित रूपमें हर् अनिवार्य मतहो :—

अध्या 1

प्रारंभिक

1. संनक्षप्टिम, नवस्तार, लागू होिा और प्रारंि—

(1) इस अनिवार्य संनक्षप्टिम निःशुल्क और अनिवार्य बालनशिक्षा का अनिवार्य अनिवार्य, 2009 है।

(2) इस कानवस्तार, *** सम्पूर्ण थारत पर होगा।

(3) हर् सतारी को प्रवृत्त होगा, िो के केन्द्रीय सरकार, रािपत्रमें अनुसूिी द्वारा, नितर्करे।

2[(4) संनवाि के अिच्छे 29 और अिच्छे 30 के उपबंिों के अीि रहते हुए इस अनिवार्य के उपबंि बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य नशिक्षा के अनिवार्य प्रािदक िि के संबंधमें लागू होंगे।

(5) इस अनिवार्य की कोई बात मिरसों, वैदिक पाठशालाओं और मुखर्तः िारमयक नशिक्षा प्राि करि वाली शैक्षणिक संस्थाओं को लागू िही होगी।]

2. पररिषाएं— इस अनिवार्यमें, िबतक दकसंिियसे अन्था अपेनक्षतिहो,—

(क) “समुनित सरकार” से,—

(i) केन्द्रीय सरकार ा ऐसे संघराज्य क्षेत्र के, नि समें कोई नवाि-

मंडलिही है, प्रशासक द्वारा स्थानपत, उसके स्वानमत्वािी िरानिर्त्रणािी िदक सीनवद्याल के संबंधमें, केन्द्रीय सरकार;

(ii) उपिंड (i) में नवनिर्यिष्ट नवद्याल-सेनिनि, —

(क) दकसीराज्केराज्क्षेत्रके िीतरस्थानपतदकसीनवद्याल-केसंबिमें, राज्सरकार;

(ि) नवाि-

मंडलवालेदकसीसंघराज्क्षेत्रके िीतरस्थानपतनवद्याल-केसंबिमेंउससंघराज्क्षेत्रकीसरकार,

अनिप्रेतहै;

(ि) “प्रनतव्नतफीस” सेनवद्याल-द्वारा अनिसूनिताफीससेनिनिदकसीप्रकारकासंिािर्ा अनििा-अथवासंिा-अनिप्रेतहै;

(ग) “बालक” सेछहवषयसेिोिहवषयतककी आरुकाकोई बालकर्ाबानलका अनिप्रेतहै;

(घ) “अलानितसमूहकाबालक”

से₃[कोईनःशतबालकर्ा]अिसूनितानत, अिसूनिताििानत, सामानिकरूपसे औरशैनक्षकरूपसेनपछड़ेवगयर्ासा मानिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, िौगोनलक, िाषाई, ललंगर्ाऐसीअन्बातकेकारण, िो समुनित सरकार द्वारा, अनिसूिा द्वारा, नवनिर्यिष्ट की िाए, अलानित ऐसे अन्समूह का कोई बालक अनिप्रेतहै;

(ङ) “िुबयलवगयकाबालक” सेऐसेमाता-

नपतार्ासंरक्षककाबालक अनिप्रेतहै, निसकीवार्षिक आन्समुनितसरकारद्वारा, अनिसूिाद्वारा, नवनिर्यिष्टन्िू ितमसीमासेकमहै;

12019 के अनिनिमर्स 34 की िारा 95 और पांिी विअिसूिा द्वारा (31-10-2019 से) “मिम्-कश्मीर राज्केनसवार्”

शबिोंकालोपदकर्ागर्ा 12 2012 के अनिनिमर्स 30 की िारा 2 द्वारा अंतःस्थानपत।

3 2012 के अनिनिमर्स 30 की िारा 3 द्वारा अंतःस्थानपत।

1[(ङङ) “निःशतबालक” के अंतगयतिनमिनलनितहैं,—

(अ) निःशतव्नत(समाि अवसर, अनिकारसंरक्षण और पूणयािगी िारी) अनिनिर्म, 1995 (1996 का 1) की िारा 2 के िंड(झ) में र्थापरिनिषत “निःशत” कोई बालक;

(आ) ऐसा कोई बालक, िोराष्टरी-स्वपरार्णता, प्रमनस्तष्टकघात, मािनसकमंिता और बहु-निःशतताग्रस्त व्नत कल्ाण न्ास अनिनिर्म, 1999 (1999 का 44) की िारा 2 के िंड(ञ) में र्थापरिनिषतिनःशतकोई व्नतहो ;

(इ) राष्टरी-स्वपरार्णता, प्रमनस्तष्टकघात, मािनसकमंिता और बहु-निःशतताग्रस्त व्नत कल्ाण न्ास अनिनिर्म, 1999 (1999 का 44) की िारा 2 के िंड(ण) में र्थापरिनिषत “गंिीर बहु-निःशततासे ग्रस्त” कोई बालक];

(ि) “प्रारंनिकनशक्षा” से पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक की नशक्षा अनिप्रेतहै;

(छ) दकसी बालक के संबिमें

“संरक्षक” से ऐसा व्नत अनिप्रेतहै, निसकी िेिेि और अनिरक्षामें वह बालक है और इसके अंतगयत कोई प्राकृतिक संरक्षकर्ा दकसी न्ााल न्ादकसी का िूिद्वारा निरु त्ाघोनषत संरक्षकी है;

(ि) “स्थािी-प्रानिकारी” से कोई गिरिनगमर्ा िगरपररषिर्ा निलापररषिर्ा िगरपंिता र्पांिार्त, िा हेनिसामसे ज्ञातहो, अनिप्रेतहै और इसके अंतगयत नवद्याल-परप्रशासनिकिनर्त्रणिरिेवाला दकसी िगर, शहरर्ाग्राममें दकसी स्थािी-प्रानिकारी के रूपमें कार्य करिके नलए त्समन्वृत दकसी नवनिद्वारा उासके िीसशत ऐसा अन्स्थािी-प्रानिकारी िानिकाि है;

(झ) “राष्टरी-बालक अनिकारसंरक्षण आर्ोग” से बालक अनिकारसंरक्षण आर्ोग अनिनिर्म, 2005 (2006 का 4) की िारा 3 के िी गिरठतराष्टरी-बालक अनिकारसंरक्षण आर्ोग अनिप्रेतहै;

(ञ) “अनिसूिा” से रािपत्रमें प्रकानशत अनिसूिा अनिप्रेतहै;

(ट) “माता-नपता” से दकसी बालक का प्राकृतिक र्ासौतेला र्ाित्तक नपतार्ामाता अनिप्रेतहै;

(ठ) “नवनहत” से, इस अनिनिमर्के िी बिाएग एनिमोर्ाद्वारा नवनहत अनिप्रेतहै;

(ड) “अिसूिी” से इस अनिनिमर्से उपाबद्धि अिसूिी अनिप्रेतहै;

(ढ) “नवद्याल” से प्रारंनिक नशक्षा िेिे वाला कोई मान्ता प्राप्त नवद्याल-अनिप्रेत है और इसके अंतगयतिनमिनलनिति हैं :—

(i) समुनितसरकार्ादकसी स्थािी-प्रानिकारी द्वारा स्थानपत, उसके स्वानमत्वािी िर्ानिर्त्रणािी कोई नवद्यालर्;

(ii) समुनितसरकार्ा स्थािी-प्रानिकारी से अपिसं पूणयव्न्ाउसके िागकी पूर्तय करिके नलए सहातर्ा अिािि प्राप्त करिवाला कोई सहातर्ा प्राप्त नवद्यालर्;

- (iii) नवनिर्णयिष्ट प्रवर्गयकाकोई नवद्यालः और
 (iv) समुनितसरकार्वास्थािीनप्रानिकारीसे अपिसंपूणयवर्त्ताउसकेिागकीपूर्यकरिकेनलए
 दकसीप्रकारकीसहार्त्ताअुिािप्राप्तिकरिवालाकोईगैर-सहार्ताप्राप्तनवद्यालः;
 (ण) “अुिवीक्षणप्रदकर्त्ता”सेदकसीअनिनशितपद्धतसेनिर्णितसरोपरअनिमाितामेंदकसीबालककेप्रवे
 शकेनलएरिकीपद्धतअनिप्रेतहै;
 (त) दकसीनवद्याल-केसंबिमें “नवनिर्णयिष्ट प्रवर्गय”से, केन्द्रीनवद्यालः, विविन्नवद्यालः, सैनिकनवद्याल
 -केरूपमेंज्ञातकोईनवद्यालः-दकसीसुनिर्णितलक्षणवालाऐसाअन्नवद्याल-अनिप्रेतहैनिसेसमुनितसरकारद्वारा, अनिसूचि
 ाद्वारा, नवनिर्णयिष्टदकर्त्तािाए;
 (थ) “राजबालकअनिकारसंरक्षणआर्ोग”सेबालकअनिकारसंरक्षणआर्ोगअनिनिर्म, 2005 (2006 का
 4)कीिारा 3केअीिगरठतराजबालकअनिकारसंरक्षणआर्ोगअनिप्रेतहै।

1 2012 केअनिनिर्मर् 30कीिारा 3द्वाराअंतःस्थानपत।

अध्ा-2

निःशुल्क और अनिवार्यनशक्षाका अनिकार

3. निःशुल्क और अनिवार्यबालनशक्षाका अनिकार—

1[(1) छहवषयसेिीहिवषयतककीआरुकेप्रत्ेकबालकको, निःसर्मेिारा 2केिंड(घ)र्ािंड(ड)मेंनिर्णयिष्टको
 ईबालकीसनम्ननलतहै, उसकीप्रारंनिकनशक्षापूरीहोितकदकसीआस-
 पासकेनवद्याल-मेंनिःशुल्क और अनिवार्यनशक्षाका अनिकारहोगा।]

(2)

उपिारा (1)केप्रोििकेनलए, कोईबालकदकसीप्रकारकीफीसर्ाऐसेप्रारर्ावर्त्तासंिांकरिकेनलएिीहींहोगा
 ,िोप्रारंनिकनशक्षालेिे औरपूरीकरिसेउसेनिवारतकरे।

2[* * * *]

3[(3) □□

िारा 2केिंड(डड)केउपिंड(अ)मेंनिर्णयिष्टदकसीनिःशतबालकको, निःशतवर्त्त(समािअवसर, अनिकारसंरक्ष
 णऔरपूणयिगीिारी)अनिनिर्म, 1995 (1996
 का 1)केउपबंिोंपरप्रनतकूलिप्रावडालेनबा, औरिारा 2केिंड(डड)केउपिंड(आ)औरउपिंड(इ)मेंनिर्णयिष्टदक
 सीबालककोनिःशुल्क और अनिवार्यप्रारंनिकनशक्षाग्रहणकरिकेवैसेहीअनिकारप्राप्तहोंगेिोनिःशतवर्त्त(समािअवसर, अ
 निकारसंरक्षणऔरपूणयिगीिारी)अनिनिर्म, 1995 केअध्ा-5केउपबंिोंकेअीिनिःशतबालकोंकोप्राप्तहैं :

परंतुराष्ट्री-स्वपरार्णता, प्रमनस्तष्टकघात, मािनसकमंिता औरबहु-

निःशतताग्रस्तवर्त्तकल्ाणर्ासअनिनिर्म, 1999 (1999 का 44)कीिारा 2केिंड(ि)मेंनिर्णयिष्ट“बहु-
 निःशतता”सेग्रस्तदकसीबालकको औरिंड(ण)मेंनिर्णयिष्ट“गिीरबहु-निःशतता”सेग्रस्तदकसीबालककोिीघर-
 आाररतनशक्षाकानवकल्पअपिािेकाअनिकारहोसकेगा।]

4. ऐसेबालकों, निहेंप्रवेशिींदिर्ागर्ाहैर्ानिन्होंिेप्रारंनिकनशक्षापूरीिीकीहै, केनलएनवशेषउपबंि—

िहां, छहवषयसेअनिककीआरुकेदकसीबालककोदकसीनवद्याल-मेंप्रवेशिींदिर्ागर्ाहैर्ाप्रवेशतोदिर्ागर्ाहैककं
 तुउसैअपिप्रारंनिकनशक्षापूरीिीकीहै, तोउसेउसकीआरुकेअुसारसमुनितकक्षामेंप्रवेशिर्ािाएगा :

परंतुिहांदकसीबालकको, उसकीआरुकेअुसारसमुनितकक्षामेंसीिेप्रवेशिर्ािाताहै, वहांउसेअन्बालकोंकेसमा
 ि होिे के नलए, ऐसी रीनत में और ऐसी समर्-सीमा के िीतर, िो नवनहत की िाए, नवशेष प्रनशक्षण
 प्राप्त करि का अनिकारहोगा :

परंतुह औरदकप्रारंनिकनशक्षाकेनलएइसप्रकारप्रवेशप्राप्तकोईबालक, िीहिवषयकीआरुकेपशितातीप्रारंनि
 कनशक्षापूरीकरितकिनःशुल्कनशक्षाकाहकिारहोगा।

5.

अन्नवद्याल-मेंस्थािांतरणका अनिकार—

(1)िहांदकसीनवद्याल-में, प्रारंनिकनशक्षापूरीकरिकीवस्थािीहींहैवहांदकसीबालकको, िारा 2केिंड(ड)
 केउपिंड(iii)औरउपिंड(iv)
 मेंनवनिर्णयिष्टनवद्याल-कोछोड़कर, अपिप्रारंनिकनशक्षापूरीकरिकेनलएदकसीअन्नवद्याल-में, स्थािांतरणकराि
 ेकाअनिकारहोगा।

(2)िहांदकसीबालकसेदकसीराज्केिीतरर्ाबाहरदकसीीकारणसेएकनवद्याल-सेिूसरेनवद्याल-मेंिा
 िेकीअपेक्षाकीिातीहै, वहांऐसेबालककोिारा 2केिंड(ड) केउपिंड(iii)औरउपिंड(iv)

में नवनिर्णयिष्ट नवद्याल-को छोड़कर, अपी प्रारंभिक नशक्षापूरी करिके नल एदक सी अन्नवद्याल-में, स्थािांतरण करािे का अनिकार होगा।

(3) ऐसे अन्नवद्याल-में प्रवेश लेिे के नल एउ सनवद्याल-का प्रािि अध्ापकर्ािार सािक, िहां ऐसे बालक को अनंत मबार प्रवेशिदर्रागर्ाथा, तुरंत स्थािांतरण प्रमाण पत्रिरी करेगा :

परंतु स्थािांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करिमें नवलंब, ऐसे अन्नवद्याल-में प्रवेश के नल एनवलंब करिर्ा प्रवेश सेइंकार करिके नल एआरिही होगा :

परंतु ह औरदक स्थािांतरण प्रमाण पत्रिरी करिमें नवलंब करिवाले नवद्याल-का प्रािि अध्ापकर्ािार सािक, उ सकोलागू सेवानिमोकेिीं शुशासनिक कारयवाई के नल एिरी होगी/होगी।

अध्ा 3

समुनित सरकार, स्थािी-प्रािनिकारी और माता-नपता के कतयव्

6. समुनित सरकार और स्थािी-प्रािनिकारी का नवद्याल-स्थानपत करि का कतयव्—इस अनिनिर्म के उपबंिों को कार्ायनन्वत करिके नल ए, समुनित सरकार और स्थािी-प्रािनिकारी, इस अनिनिर्म के प्रारंि से तीिवषयकी अवनिकेिीतर ऐसे क्षेत्र्ा आसपासकी ऐसी सीमाओं केिीतर, िोनवनहतकी िाएं, िहां नवद्याल-इस प्रकार स्थानपतिही है, एक नवद्याल-स्थानपत करेगे।

¹ 2012

के अनिनिर्मर् 30 की िारा 4 द्वारा प्रनत स्थानपत।

² 2012

के अनिनिर्मर् 30 की िारा 4 द्वारा लोपदकर्ागर्

II

³ 2012

के अनिनिर्मर् 30 की िारा 4 द्वारा अंतःस्थानपत।

7. नवती-और अन्तत्तरिनत्वों में नहस्सा बांटा—

(1) केन्द्री-सरकार और राज्सरकार का इस अनिनिर्म के उपबंिों को कार्ायनन्वत करिके नल एन निर्ां उपलबिकरािे के नल एस मवती उत्तरिनत्वर् होगा।

(2) केन्द्री-सरकार इस अनिनिर्म के उपबंिों के कार्ायनवर् के नल एपूिी और आवतीव् के प्रा कलितैर्ार करेगी।

(3) केन्द्री-सरकार, राज्सरकारों को रािस्वों के सहातीं शुिाि के रूप में उपारा (2) में निर्िष्ट टक्क ऐसा प्रनत शत उपल बिकराएगी, िे सावह, समर्-समन्पर राज्सरकारों के परामशय से अविररत करे।

(4) केन्द्री-सरकार, राष्ट्रपनत को शुिे 280

के िंड (3) के उपिंड (घ) के अीिी राज्सरकार को अनतररत संसािि उपलबिकराएिे की आवश्कता की परीक्षा करिके नल एनव त्त आर्ोग को नििशििे का शुिी करसकेगी, तादक उतराज्सरकार इस अनिनिर्म के उपबंिों को कार्ायनन्वत करिके नल एन निर्ोका अपा अंशि प्रािकरसके।

(5) उपारा

(4) में दक सी बात के होते हुिी, राज्सरकार उपारा (3) के अीिी केन्द्री-सरकार द्वारा राज्सरकार को प्रािकी गई शर्ों और उस के अन्संसाििों को ध्ामिरेते हुिी इस अनिनिर्म के उपबंिों के कार्ायनवर् के नल एन निर्ां उपलबिकरािे हेतु उत्तरिर्ी होगी।

(6) केन्द्री-सरकार,—

(क) िारा 29 के अीिी नवनिर्िष्ट शैक्षणक प्रािनिकारी की सहाती से राष्ट्री-कार्यक्रम का ढांिा नवकनसत करेगी ;

(ि) नशक्षकों के प्रनशक्षण के नल एमािकों को नवकनसत और लागू करेगी ;

(ग) िवीकरण, शुसंिाि, र्ोिा और क्षमता निमायण के संविधिके नल ए राज्सरकार को तकी की सहाती और संसािि उपलबिकराएगी।

8. समुनित सरकार के कतयव्—समुनित सरकार,—

(क) प्रर्ेक बालक को निःशुल्क और अनिवाय प्रथम नमकनशक्षा उपलबिकराएगी :

परंतु िहां दक सी बालक को, र्थानस्थनत, उसके माता-नपता र्ा संरक्षक द्वारा, समुनित सरकार र्ा दक सी स्थािी-प्रािनिकारी द्वारा स्थानपत, उसके स्वानमत्वािीि, निर्त्रणािीि र्ा प्रत्क्षतः र्ा अप्रत्क्षतः उपलबिकराई गई निर्ों द्वा सारवाि् रूप से नवत्तपोनषत नवद्याल-से निर्दिक सी नवद्याल-में प्रवेशिदर्रािाता है, वहां ऐसा बालकर्ा, र्थानस्थनत, उसके माता-नपता र्ा संरक्षक ऐसे अन्नवद्याल-में बालक की प्राथमक नशक्षा पर उपगतव् की प्रनत पूर्य के नल ए कोई िावा करिकाहकिरिही होगा।

स्पष्टीकरण—“अनिवार्यनशक्षा”पिसेसमुनितसरकारकी,—

- नशक्षा उपलब्धि
- (i) छह वषय से िौह वषय तक की आरु के प्रत्ेक बालक को निःशुल्क प्राथनमक करािे;और
- (ii) छह वषय से िौह वषय तक की आरु के प्रत्ेक बालक द्वारा प्राथनमक नशक्षा में अनिवार्य प्रवेश, उपनस्थनत और उसको पूरा करिको सुनिनशित करिकी, बाध्ता अनिप्रेत है ;
- (ि) िारा 6मेंथानवनिर्ियष्ट आसपासमें नवद्यालकी उपलब्धिताको सुनिनशित करेगी ;
- (ग) हसुनिनशित करेगी दकुिबयलवगयके बालक और अलानितसमूहके बालकके प्रनतपक्षपातिदकरािे तथा दकसी आरपर प्राथनमक नशक्षालेिे और पूरा करिसेवेनिवाररतिहों;
- (घ) अवसरििा, निसके अंतगयत नवद्याल-िवि, नशक्षण कमयाररवृि और नशक्षा के उपस्कर िी हैं, उपलब्धि कराएगी ;
- (ङ) िारा 4मेंनवनिर्ियष्ट नवशेषप्रनशक्षण सुनवा उपलब्धिकराएगी ;
- (ि) प्रत्ेक बालक द्वारा प्राथनमक नशक्षा में प्रवेश, उपनस्थनत और उसे पूरा करि को सुनिनशित और मािीटर करेगी ;

- (छ) अिसूिीमेंनवनिर्ियष्ट माि और मािकोंके अिरूप अच्छी वानलटीकी प्राथनमक नशक्षा सुनिनशित करेगी ;
- (ि) प्राथनमक नशक्षाके नलए पाठ्यािार और पाठ्यक्रमोंका समन्वयन नहत दकरािािा सुनिनशित करेगी ; और
- (झ) नशक्षकोंके नलए प्रनशक्षण सुनवा उपलब्धिकराएगी।

9. स्थािीन प्राधिकारीके कतयव्—प्रत्ेक स्थािीन प्राधिकारी,—

- (क) प्रत्ेक बालकको निःशुल्क और अनिवार्य प्राथनमक नशक्षा उपलब्धिकराएगा ;
- परन्तु िहांदकसी बालकको, थानस्थनत, उसके माता-नपतार्रासंरक्षकद्वारा, समुनितसरकार्रादकसी स्थािीन प्राधिकारीद्वारा स्थानपत, उसके स्वानमत्वािीि, निरं्रणािीिर्ा प्रत्क्षतःरा अप्रत्क्षतः उपलब्धिकराई गई निर्रोंद्वा सारवाि्रूपसे नवत्तपोनषत नवद्यालसे निरिदकसी नवद्यालमें प्रवेशिदर्रािाता है, वहांऐसा बालकर्रा, थानस्थनत, उसके माता-नपतार्रासंरक्षकऐसे अन्नवद्यालमें बालककी प्राथनमक नशक्षा पर उपगतव्की प्रनतपूर्यके नलए कोई िावाकरिकाहकिरिहींहोगा ;
- (ि) िारा 6मेंथानवनिर्ियष्ट आसपासमें नवद्यालकी उपलब्धिताको सुनिनशित करेगा ;
- (ग) हसुनिनशित करेगा दकुिबयलवगयके बालक और अलानितसमूहके बालकके प्रनतपक्षपातिदकरािे तथा दकसी आरपर प्राथनमक नशक्षालेिे और पूरा करिसेवेनिवाररतिहों ;
- (घ) अपिी अनिकाररताके िीतर निवास करिवाले िौह वषय तक की आरुके बालकों के ऐसीरीनतमें, िो नवनहतकी िाए, अनिलेिरिगा ;
- (ङ) अपिी अनिकाररताके िीतर निवास करिवाले प्रत्ेक बालकद्वारा प्राथनमक नशक्षामें प्रवेश, उपनस्थनत और उसे पूरा करिको सुनिनशित और मािीटर करेगा ;
- (ि) अवसरििा, निसके अंतगयत नवद्याल-िवि, नशक्षण कमयाररवृि और नशक्षा सामग्री िी है, उपलब्धि कराएगा ;
- (छ) िारा 4मेंनवनिर्ियष्ट नवशेषप्रनशक्षण सुनवा उपलब्धिकराएगा ;

- (ि) अिसूिीमेंनवनिर्ियष्ट माि और मािकोंके अिरूप अच्छी वानलटीकी प्राथनमक नशक्षा सुनिनशित करेगा ;
- (झ) प्राथनमक नशक्षाके नलए पाठ्यािार और पाठ्यक्रमोंका समन्वयन नहत दकरािािा सुनिनशित करेगा ;
- (ञ) नशक्षकोंके नलए प्रनशक्षण सुनवा उपलब्धिकराएगा ;

(ट) प्रवासी कुटुंबोंके बालकोंके प्रवेशको सुनिनशित करेगा ;

(ठ) अपिी अनिकाररताके िीतर नवद्यालर्ोंके कार्यकरणको मािीटर करेगा ; और

(ड) शैक्षणिक कैलेंडर कानवनिशिकरेगा।

10. माता-नपता और संरक्षकका कतयव्—प्रत्ेक माता-

नपतार्रासंरक्षकका हर्कतयव्होगा दक वह आसपासके नवद्यालमें कोई प्रारंनिक नशक्षाके नलए अपि, थानस्थनत, बालकर्रा प्रनतपा ल्का प्रवेश कराएरा प्रवेशिदलाए।

11. समुनितसरकारद्वारा नवद्याल-पूवयनशक्षाके नलए वस्थाकरि—

प्राथनमक नशक्षाके नलए िीवषयसे अनिक आरुके बालकोंको तैरार करितथा सी बालकोंके नलए बतकवेछह वषयकी आरु पूरि कर तेहैं, आरंनिक बाल्कालेिरिे और नशक्षाकी वस्था करिकी िृनष्टसे समुनितसरकार, ऐसे बालकोंके नलए निःशुल्क नवद्याल-पूवयनशक्षा उपलब्धिकरािेके नलए आवश्कर्ववस्था करसकेगी।

नवद्यालर्ों और नशक्षकों के उत्तरान्तर्व

12. निःशुल्क और अनिवार्य नशक्षा के नल एनवद्याल-के उत्तरान्तर्व की सीमा—(1) इस अनिनिमर्के प्रर्ोिों के नल ए,—
(क) िारा 2 के िंड (ढ) के उपिंड (i) में नवनिर्ियष्टट को ई नवद्यालर्, उस में प्रनवष्टट सी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रार्थनमक नशक्षा प्रि करेगा ;

(ि) िारा 2 के िंड (ढ) के उपिंड (ii) में नवनिर्ियष्टट को ई नवद्यालर्, उस में प्रवेश करा एग बालकों के ऐसे अपात को, िो इस प्रकार प्राप्त उस की वार्षिक आवती सहातर्ा अिुिा िका, उसके वार्षिक आवती व्-से, न्ूितम पचिी स प्रनतशत के अीरि रहते हु एनः शुल्क और अनिवार्य प्रार्थनमक नशक्षा उपलबि करा एगा ;

(ग) िारा 2 के िंड (ढ) के उपिंड (iii) और उपिंड (iv)

में नवनिर्ियष्टट को ई नवद्याल-पहली कक्षामें, आसपास में

िुबयल वगय और अलानित समूह के बालकों को, उस कक्षा के बालकों की कुल संखर्ा के कम से कम पचिी स प्रनतशत की सीमा तक प्रवेशिगा और निःशुल्क और अनिवार्य प्रार्थनमक नशक्षा, उसके पूरा हो िेतक, प्रि करेगा ;

परंतु ह और द कि हां िारा 2 के िंड (ढ) में नवनिर्ियष्टट को ई नवद्यालर्, नवद्याल-पूवयनशक्षा िेता है वहां िंड (क) से िंड (ग) के उपबंिे सी नवद्याल-पूवयनशक्षामें प्रवेश को ला गूहोंगे।

(2) उपिारा (1) के िंड (ग) में र्थानवनिर्ियष्टट नः शुल्क और अनिवार्य प्रार्थनमक नशक्षा उपलबि करा िेवाले िारा 2 के िंड (ढ) के उपिंड (iv) में नवनिर्ियष्टट नवद्याल-की, उसके द्वारा इस प्रकार उपगत व्-की, राज्द्वारा उपगत प्रनत बालक व्-की सीमा तक र्ा बाल क से प्राररत वास्तनवरकमतक, इमें से िो िी कम हो, ऐसी रीनतमें, िोनवनहत की िाए, प्रनतपूर्यकी िाएगी ;

परंतु ऐसी प्रनतपूर्यिारा 2 के िंड (ढ) के उपिंड (i) में नवनिर्ियष्टट दक सी नवद्याल-द्वारा उपगत प्रनत बालक व्-से अनिकि हीं हो गी ;

परंतु ह और द कि हां ऐसानवद्याल-उसके द्वारा को ई नम, िवि, उपस्करर्ा अन्सुनवाएं, र्ातो निःशुल्क र्ारर्ा तीरि पर, प्राप्त करिे कारण पहले से ही नवनिर्ियष्टट संखर्ामें बालकों को निःशुल्क नशक्षा उपलबि करा िे की बाध्ता के अीि है, वहां ऐसानवद्याल-ऐसी बा ध्ता की सीमा तक प्रनतपूर्य के नल एहकिरि हीं होगा।

(3) प्रल्ेक नवद्याल-ऐसी िा िकारी िो, र्थानस्थनत, समुनित सरकार र्ा स्थािी-प्रानिकारी द्वारा अपेनक्षत हो, उपलबि करा एगा।

13. प्रवेश के नल ए दक सी प्रनत व्-नतफीस और अुवीक्षण प्रदक्रर्ा का िो िा—

(1) को ई नवद्याल-व्-नत, दक सी बालक को प्रवेशि ते सम-को ई प्रनत व्-नतफीस संगृहीति हीं करेगा और बालकर्ा उसके माता-नपता अथवा संरक्षक को दक सी अुवीक्षण प्रदक्रर्ा के अीि हीं रीगा।

(2) को ई नवद्याल-व्-नत, दिं उपिारा (1) के उपबंिों के उल्लंघिमें,—

(क) प्रनत व्-नतफीस प्राप्त करता है तो वहिुमायिसे, िो प्राररत प्रनत व्-नतफीस के िसगुिा तक का हो सकेगा, िंडी-होगा ;

(ि) दक सी बालक को अुवीक्षण प्रदक्रर्ा के अीि रीता है तो वहिुमायिसे, िो पहले उल्लंघि के नल ए पचिी सिहार रुप एतक और प्रल्ेक पशिा त्वती उल्लंघि के नल ए पासिहार रुप एतक का हो सकेगा, िंडी-होगा।

14. प्रवेश के नल ए आर्ुका सबूत—

(1) प्रार्थनमक नशक्षामें प्रवेश के प्रर्ोिों के नल ए दक सी बालक की आर्ु, िन्मि, मृत्ु और नववाहर निस्कीकरण अनिनिर्म, 1886 (1886 का 6) के उपबंिों के अिसारिरी दक एगिन्म प्रमाणपत्र के आार परर्ा ऐसे अन्िस्तावेि के आार पर, िोनवनहत दकर्ा िाए, अविररत की िाएगी।

(2) दक सी बालक को, आर्ुका सबूति हो िे के कारण दक सी नवद्याल-में प्रवेश से इंकारि हीं दकर्ा िाएगा।

15. प्रवेश से इंकारि दकर्ा िा िा—

दक सी बालक को, शैक्षणक वषय के प्रारंि परर्ा ऐसी नवस्तारत अवनि के िीतर, िोनवनहत की िाए, दक सी नवद्याल-में प्रवेशि दर्ा िाएगा ;

परंतु दक सी बालक को प्रवेश से इंकारि हीं दकर्ा िाएगा दिं ऐसा प्रवेशन वस्तारत अवनि के पशिा र्द नप्सत है ;

परंतु ह और दक नवस्तारत अवनि के पशिा त्रवेश प्राप्त को ई बालक ऐसी रीनतमें, िो समुनित सरकार द्वारा नवनहत की िाए, अपिा अध्ूि पूरा करेगा।

16. परीक्षा और कनतप-मामलों में रोक िा िा—(1) प्रल्ेक शैक्षणक वषय के अंतमें, पांिी कक्षा में और आठवीं कक्षा में निर्मत परीक्षा होगा।

(2)

दिं को ई बालक, उपिारा (1) में निर्ियष्टट परीक्षामें असफल हो िाता है, तो उसे अनतर रतनशक्षणि दर्ा िाएगा और पररणामघोनषत दक पि िे की तारीि से िो मास की अवनि के िीतर पुः परीक्षा िे िे के अवसरि दर्ा िाएगा।

(3)

समुनित सरकार, नवद्यालर्ों को, ऐसी रीनतमें और ऐसी शतों के अीरि रहते हु ए, िोनवनहत की िाए, दक सी बालक को, दिं वह उपिारा (2) में निर्ियष्टट पुः परीक्षामें असफल रहता है तो, पांिी कक्षामें र्ा आठवीं कक्षामें र्ा िो िो कक्षाओं में रो के िा िे के नल ए अिुज्ञात कर सकेगी ;

(4) दक सी बालक को, प्रारनिक नशक्षा पूरी दक पि िेतक नवद्याल-से निष्टकानसति हीं दकर्ा िाएगा।

17. बालककेशरीरकिंड औरमानिसकउत्पीड़िकाप्रनतषे—

(1) दकसी बालकको शरीरकिंडिही दिर्ां एगा उ सकामानिसकउत्पीड़िही दकरां एगा।

(2) □□

कोई उपिारा (1) के उपबंोका उल्लंघि करेगा, वह ऐसे नतकोलागू से वानिर्मो के अीं अिशासनिक कारयवाई कांरी होगा।

18. मान्ता प्रमाणत्र अनिप्राप्त दकए नबा दकसी नवद्याल-का स्थानपत ि दकरां िं—(1) समुनित सरकारां स्थांी-प्रानिकारी द्वारा स्थानपत, उसके स्वानमत्वांीं र्ा निर्रणांीं दकसी नवद्याल-से निर्न कोई नवद्यालर्, इस अनिनिर्म के प्रारं के पशंात्, ऐसे प्रानिकारी से, ऐसे प्ररूपमें और ऐसी रीनतमें, िोनवनहतकींाए, कोई आवेिकर के मान्ता प्रमाणपत्र अनिप्राप्त दकए न बास्थानपतिही दकरां एगा र्ा कार्यिही करेगा।

। 2019 के अनिनिर्मसं 1 कींारा 2 द्वारा प्रनतस्थानपत।

(2)

उपिारा (1) के अीं िनवनहत प्रानिकारी ऐसे प्ररूपमें, ऐसी अवनि केीतर, ऐसी रीनतमें और ऐसी शतों के अीं रितेहुए, िोनवनहतकींाएं, मान्ता प्रमाणपत्रिरी करेगा :

परंतु दकसी नवद्याल-को ऐसी मान्ता तब तक िुत्तिही कींाएगी िबत कवहिरा 19 के अीं िनवनिर्ियष्टटमां औरमां कोंको पूरा िही करता है।

(3) मान्ता की शतों के उल्लंघि पर, नवनहत प्रानिकारी नलनिति ओशद्वारा, मान्ता वापस लेलेगा :

परंतु ऐसे अिशमें आसपास के उसनवद्याल-के बारेमें िेशहो गानिसमें गैर-

मान्ता प्राप्त नवद्याल-में अधूिकर रहे बालकों को प्रवेशि दकरां एगा :

परंतु ह और दक ऐसी मान्ता को ऐसे नवद्याल-को, ऐसी रीनतमें िोनवनहतकींाए, सुिवाई का अवसरि दए नबा वापसि ही नलर्ां िाएगा।

(4) ऐसानवद्यालर्, उपिारा (3) के अीं िमान्ता वापस लेे की तारीं से कायर्करिां रीं िही रीगा।

(5) कोई नत, िो मान्ता प्रमाणपत्र अनिप्राप्त दकए नबा को ई नवद्याल-स्थानपत करता है र्ा िलाता है र्ा मान्ता वापस लेे के पशंालनवद्याल-लांिां रीरिता है, िुमायिसे, िो एक लांिरुप एतक का हो सकेगा और उल्लंघिां रीरहि कींां शिांमें िुमायिसे िो ऐ से प्रर्े कि दिके नलए, निसके िो रीां ऐसा उल्लंघिां रीरिता है, िसिहाररुप एतक का हो सकेगा, िांरी होगा।

19. नवद्याल-के मां औरमांिक—

(1) दकसी नवद्याल-को, िारा 18 के अीं तबत स्थानपतिही दकरां एगा, र्ा मान्ता िही िींाएगी िबत कवहि असूिीमें नवनिर्ियष्टटमां औरमां कोंको पूरा िही करता है।

(2) िहां इस अनिनिर्म के प्रारं से पूवयस्थानपत को ई नवद्याल-असूिीमें नवनिर्ियष्टटमां औरमां कोंको पूरा िही करता है, व हां वह ऐसे प्रारं की तारीं से तीं विषयकी अवनि केीतर अपिं िपर ऐसे मां औरमां कोंको पूरा करिके नलए कम उठाएगा।

(3) िहां को ई नवद्यालर्, उपिारा (2) के अीं नवनिर्ियष्टट अवनि केीतर मां औरमां कोंको पूरा करिमें असफल रहता है, व हां िारा 18 की उपिारा (1) के अीं िनवनहत प्रानिकारी, ऐसे नवद्याल-को अिुत्तिमान्ता को उसकी उपिारा (3) के अीं नवनिर्ियष्टट रीनतमें वापस लेलेगा।

(4) कोई नवद्याल-उपिारा (3) के अीं िमान्ता वापस लेे की तारीं से कायर्करिां रीं िही रीगा।

(5) कोई नत, िो मान्ता वापस लेे के पशंालनवद्याल-लांिां रीरिता है, िुमायिसे िो एक लांिरुप एतक का हो सकेगा और उल्लंघिां रीरहि कींां शिांमें, ऐसे प्रर्े कि दिके नलए, निसके िो रीां उल्लंघिां रीरिता है, िसिहाररुप एके िुमायिकां री होगा।

20. असूिी का संशोि करि की शनत—केन्द्ी-सरकार, अनिसूिां द्वारा, असूिी का, उसमें दकसी मां र्ा मांिक को िो डकरां उ ससे उसकालोपकर के संशोिकर सकेगी।

21. नवद्याल-प्रबंिसनमनत—

(1) िारा 2 के िंड (ढ) के उपिंड (iv) में नवनिर्ियष्टट दकसी नवद्याल-से निर्न नवद्याल-स्थांी-प्रानिकारी, ऐसे नवद्याल-में प्रवेश प्राप्त बाल कों के माता-नपतार्ा संरक्षक और नशक्षकों के निवायनित प्रनतनिर्ो से नमल करि बंे वाली एक नवद्याल-प्रबंिसनमनत का गठि करेगा :

परंतु ऐसी सनमनत के कम से कम तीं िो थाई सस्माता-नपतार्ा संरक्षक होंगे :

परंतु ह और दक अलानित समूह और िुबयलवगय के बालकों के माता-

नपतार्ा संरक्षकों को समांिुपाती प्रनतनिर्नल दिर्ां एगा :

परंतु िही दक ऐसी सनमनत के पिस प्रनत शतिसस्नस्त्रां होंगी।

(2) नवद्याल-प्रबंिसनमनत नमंनलनित कृत्ों का पालि करेगी, अथायत्—

(क) नवद्याल-के कार्यकरण को मांीटर करिा ;

(ि) नवद्याल-नवकास र्ोिंां तैरार करिा और उसकी नसफारर श करिा ;

(ग) समुनित सरकारां स्थांी-प्रानिकारी अथवा दकसी अन्स्रोत से प्राप्त अिुिांो के उपर्ोग को मानिटर करिा ; और

(घ) ऐसे अन्कृत्ों का पालि करिा, िोनवनहत दक िां :

। परंतु,—

(क) अल्पसंखर्क द्वारा स्थानपत और प्रशानसत दकसी नवद्यालर्, िां हेवहि मयि आररत हो र्ा िां िां आररत हो ; और

(१) िारा 2केड(द)केउपिंड(ii)मेंथपरशिनषतअन्सीसहार्ताप्राप्तनवद्यालर्ो, केसंबंमिेंउपिारा (1)केओीगिरठतनवद्यालन्प्रबंसिनमनतकेवलसलाहकारसंबंीकृत्ोकापालिकरेगी।]

12012 केअनिनिर्मर् 30कीारा 5द्वाराअंतःस्थानपत।

22. नवद्यालन्नवकासर्ोिा—

(1)ारा 21कीउपिारा (1)केओीगिरठतप्रर्ेकनवद्यालन्प्रबंसिनमनत।[अल्पसंखर्कद्वारा,स्थानपतऔरप्रशानसतदकसीनवद्यालर्, िाहेवहिमयिआररतहोर्ािाषाआररत, तथाारा 2केड(द)केउपिंड(ii)मेंथपरशिनषतदकसीसहार्ताप्राप्तनवद्यालन्केसंबंमिेंनवद्यालन्प्रबंसिनमनतकेनसवार,]ऐसीरीनतमें, िोनवनहतकीिाए, एकनवद्यालन्नवकासर्ोिातैर्ारकरेगी।

(2)उपिारा (1)केओीइसप्रकारतैर्ारकीगईनवद्यालन्नवकासर्ोिा, थनस्थनत, समुनितसरकारर्ास्थािीप्राणिका रीद्वाराबिर्ििेवालीर्ोिाओऔरिदणििेवालेओुिािोकाआरहोगी।

23. नशक्षकोंकीनिरुनतकेनलएअहयताएंऔरसेवाकेनिबंिऔरशतें—

(1)कोईनत, निसकेपासकेन्द्रीसरकारद्वारा, अनिसूिाद्वाराप्राणिकृतदकसीनशक्षाप्राणिकारीद्वाराथानिकनथतन्ूितमअहयताएं हैं, नशक्षककेरूपमेंनिरुनतकेनलएपात्रहोगा।

(2)िहांदकसीराज्मेंअध्ापकनशक्षकेपाठ्यक्रमर्ाउसमेंप्रनशक्षणिप्रािकरिवालीपरायप्तसंस्थाएंिहींहैंराउपिारा (1) केओीर्थाअनिकनथतन्ूितमअहयताएंरिेवालेनशक्षकपरायप्तसंखर्ामेंिहींहैंवहांकेन्द्रीसरकार, दिवहआवशर्कसमझे, अनिसूिाद्वारा, नशक्षककेरूपमेंनिरुनतकेनलएअपेनक्षतन्ूितमअहयताओंकोपांिवषयसेअनिककीऐसीअ वनिकेनलएनशनथलकरसकेगी, िोउसअनिसूिामेंनवनिर्यिष्टटकीिाए:

परंतुऐसाकोईनशक्षक, निसकेपासइसअनिनिर्मर्केप्रारंिपरउपिारा (1)केओीर्थाअनिकनथतन्ूितमअहयताएंिहींहैं, पांिव षयकीअवनिकेीतरऐसीन्ूितमअहयताएंअर्यितकरेगा।

अपरंतुहर्और दक 31 मायि, 2015 कोनिरु त र्ाउस रूप में निरु त ऐसाप्रर्ेक नशक्षक, िोउपिारा (1) के ओी र्थाअनिकनथतन्ूितमअहयतांिहींरिताहै, निःशुल्कऔरअनिवायर्बालनशक्षकाअनिकार(संशोिि)अनिनिर्म, 2017केप्रारंिकीतारी िसेिारवषयकीअवनिकेीतरऐसीन्ूितमअहयताअर्यितकरेगा।]

(3)नशक्षककोसंिेचेतिऔरितेतथाउसकीसेवाकेनिबंिऔरशतेंवेहोंगीिोनवनहतकीिाएं।

24. नशक्षकोंकेकतयन्औरनशक्षार्ताकोिूरकरिा—

(1)ारा 23कीउपिारा (1)केओीनिरु तनशक्षकिनर्मिनलनितकतयन्ोकापालिकरेगा, अथायत्:—

(क)नवद्यालन्मेंउपनस्थतहोिेमेंनिर्मतताऔरसमन्पालि;

(ि)ारा 29कीउपिारा (2)केउपबंिोकेओिसारपाठ्यक्रमसंिनलतकरिाऔरउसेपूराकरिा;

(ग)नवनिर्यिष्टटसमन्केीतरसंपूणयपाठ्यक्रमपूराकरिा;

(घ)प्रर्ेकबालककीनशक्षग्रहणकरिकेसामथर्यकानिायरणकरिाऔरतदुिसारतथाअपेनक्षतअनतररतनशक्षण, दिंकोईहो, िोडिा;

(ड)माता-नपताऔरसंरक्षकोंकेसाथिनर्ममतबैठकेंकरिाऔरबालककेबारेमेंउपनस्थनतमेंनिर्मतता, नशक्षग्रहण करिकासामथर्य, नशक्षणमेंकीगईप्रगनतऔरदकसीअन्सुसंगतिािकारीकेबारेमेंउन्हेंअवगतकरािा; और (ि)ऐसेअन्कतयन्ोकापालिकरिा, िोनवनहतदकिए।

(2)उपिारा (1)मेंनवनिर्यिष्टटकतयन्ोकेपालिमेंनतक्रमकरिवाला/वालीकोईनशक्षक/नशनक्षका, उसेलागूसेवानि मोंकेओीओुशासनिककारयवाईकेनलएिरीहोगा/होगी :

परंतुऐसीओुशासनिककारयवाईकरिसेपूवयऐसेनशक्षक/ऐसीनशनक्षकाकोसुिवाईकारुनतरु तअवसरिदर्ािाएगा।

(3)नशक्षककीनशक्षार्ताको, दिंकोईहो, ऐसीरीनतमेंिूरदकर्ािाएगा, िोनवनहतकीिाए।

25. छात्र-नशक्षक ओुपात—(1) इस अनिनिर्म के प्रारंि की तारीि से अतीि वषय के िीतर] समुनित सरकार और स्थािीप्राणिकारीहर्सुनिनशितकरेंगेदकप्रर्ेकनवद्यालन्मेंछात्र-

नशक्षकिओुपातिओुसूिामेंनवनिर्यिष्टटदकएगाओुसारिबाएरिािाए।(2)उपिारा (1)केओीछात्र-

नशक्षकिओुपातिबाएरिेकेप्रर्ोिकेनलए, दकसीनवद्यालन्मेंतैातदकएगादकसीनशक्षककोदकसीअन्नवद्यालन्ाकारायल न्मेंसेवािहींकरिीिाएगीरा 27 मेंनवनिर्यिष्टटप्रर्ोिोसेनिन्दकसीगैर- शैनक्षकप्रर्ोिकेनलएअनिरोनितििहींदकर्ािाएगा।

26. नशक्षकों की ररनतर्ो का िरा िािा—निरुनत प्राणिकारी, समुनित सरकार र्ा दकसी स्थािी-प्राणिकारी द्वारास्थानपत, उसके स्वानमत्वािीि, निर्त्रणािीि र्ा उसके द्वारा प्रक्षतः र्ा अप्रक्षतः उपलब् करवाई गई निनिर्ो द्वारा िागतःनवत्तपोनषतदकसीनवद्यालन्केसंबंमिेंहर्सुनिनशितकरेगादकउसकेनिर्त्रणािीिदकसीनवद्यालन्मेंनशक्षककेररतिपकु लस्वीकृतिपसंखर्ाकेिसप्रनतशतसेअनिकिहींहोंगे।

27.

गैर-शैनक्षकप्रर्ोिोकेनलएनशक्षकोंकोअनिरोनितदकएिेकाप्रनतषेि— दकसीनशक्षककोिसवषीनिंसंखर्ािगिणा, आपि राहत कतयन्ो र्ा, थनस्थनत, स्थािी-प्राणिकारी र्ा राज् नवाि-मंडलों र्ा संस्ि के निवायिो से संबंनितकतयन्ोसेनिन्दकसीगैर- शैनक्षकप्रर्ोिोकेनलएअनिरोनितििहींदकर्ािाएगा।

¹ 2012
केअनिनिमर्स 30कींारा 6द्वाराअंतःस्थानपत।
² 2017 केअनिनिमर्स 24कींारा 2द्वाराअंतःस्थानपत।
³ 2012
केअनिनिमर्स 30कींारा 7द्वाराप्रनतस्थानपत।

28. नशक्षकद्वाराप्राइवेटट्यूशिकाप्रनतषेि—

कोईनशक्षक/नशनक्षकाप्राइवेटट्यूशिर्ाप्राइवेटनशक्षणदक्राकलापमेंस्वर्कोहींलगाएगा/लगाएगी।

अध्ाF5

प्रारंनिकनशक्षाकापाठ्यक्रमऔरउसकापूरादक्रांिािा

29. पाठ्यक्रमऔरमूल्ांकिप्रदक्रा—

(1)प्रारंनिकनशक्षाकेनलएपाठ्यक्रमऔरउसकीमूल्ांकिप्रदक्रासमुनितसरकारद्वारा,अनिसूिाद्वारा,नवनिर्यिष्टदक
एिािेवालेनशक्षाप्रानिकारीद्वाराअनिकनथतकीाएगी।

(2)नशक्षाप्रानिकारी,उपारा (1)केअीिपाठ्यक्रमऔरमूल्ांकिप्रदक्राअनिकनथतकरतेसमन्मिनलनितबा
तोंकोध्ािमेंरिगा,अथायत्:—

(क)संनवािमेंप्रनतष्टठानपतमूल्ोसेअिरूपता;

(ि)बालककासवांगीणनवकास;

(ग)बालककेज्ञाि,अन्तःशनत,र्ोग्ताकानिमायणकरा;

(घ)पूणयतममात्रातकशारीरकऔरमािनसकर्ोग्ताओंकानवकास;

(ङ)बालिअुकूलऔरबालकेनन्दतरनीनतमेंदक्राकलापों,प्रकटीकरणऔरिाकेद्वारानशक्षण;

(ि)नशक्षाकामाध्म,िहांतकसाध्बालककीमातृिाषामेंहोगा;

(छ)बालककोर्ि,मािनसकअनिघातऔरिनन्तामु तिबािाऔरबालककोस्वतंत्ररूपसेमतन्तकरिमें

सहार्ताकरा;

(ि)बालककेसमझिकीशनतऔरउसेउपर्ोगकरिकीउसकीर्ोग्ताकाव्ापकऔरसततमूल्ांकि।

30. परीक्षाऔरसमापिप्रमाणपत्र—

(1)दकसीबालकसेप्रारंनिकनशक्षापूरीहोितककोईबोडयपरीक्षाउतीणयकरिकीअपेक्षाहींकीाएगी।

(2)प्रत्ेकबालकको,निसिअपीप्रारंनिकनशक्षापूरीकरलीहै,ऐसेप्ररूपऔरऐसीरीनतमें,िोवनहतकीाए,एकप्रमाण
पत्रिदक्रािाएगा।

अध्ाF6

बालकोंकेअनिकारकासंरक्षण

31. बालककेनशक्षाकेअनिकारकोमानिटरकरा—(1)बालकअनिकारसंरक्षणआर्ोगअनिनिर्म,2005 (2006 का
4)की,थनस्थनत,िारा 3केअीिगरठतराष्टरीबालकअनिकारसंरक्षणआर्ोगर्ािारा 17केअीिगरठतराज्बालकअनिका
रसंरक्षणआर्ोग,उसअनिनिमर्केअीिउन्हेंसमुिेनशतकृत्ोकेअनतररतिनमिनलनितकृत्ोकािीपालिकरेगा,अथायत्:

— (क)इसअनिनिमर्द्वारार्ाउसकेअीिउपबंनितअनिकारोंकेरक्षोपार्ोंकीपरीक्षाऔरपुर्विलोकिकरा
औरिउकेप्रावीकार्ायन्वर्िकेनलएअध्ुपार्ोंकीनसफाररशकरा;

(ि)निःशुल्कऔरअनिवायर्नशक्षाकेबालककेअनिकारसंबंिीपररवािोंकीांकिरा;और

(ग) उत बालक अनिकार संरक्षण आर्ोग अननिर्म की िारा 15 और िारा 24 के अीि र्था

उपबंनित आवश्कउपांकरा।

(2)उतआर्ोगोंको,उपारा (1)केिंड(ग)केअीिनिःशुल्कऔरअनिवायर्नशक्षाकेबालककेअनिकारसेसंबंनितदकसीन
वषमेंिांकिरतेसमन्वहीशनतर्ांहोंगी,िोउतबालकअनिकारसंरक्षणआर्ोगअनिनिमर्कीक्रमशःिारा 14औरारा 2
4केअीिउन्हेंसमुिेनशतकीगईहैं।

(3)िहांदकसीराज्में,राज्बालकअनिकारसंरक्षणआर्ोगगरठतिहींदक्रागर्ाहैवहांसमुनितसरकारउपारा (1)के
िंड(क)सेिंड(ग)मेंनवनिर्यिष्टकृत्ोकापालिकरिकेप्रर्ोिकेनलएऐसीरीनतमेंऔरऐसेनिबंिोंऔरशतोंकेअीिरह
तेहुए,िोवनहतकीाए,ऐसेप्रानिकरणकागठिकरसकेगी।

32. नशकार्तोंकोिूरकरा—

(1)िारा 31मेंदकसीबातकेहोतेहुए,कोईव्नत,निसेइसअनिनिमर्केअीिदकसीबालककेअनिकारकेसंबंिमेंकोईनशकार्तहै,अ
निकारतरारिेवालेस्थािीन्प्रातिकारीकोनलनितमेंनशकार्तर्करसकेगा। (2)उपारा (1) के अीि नशकार्त प्राप्त

होिे के पशिात्, स्थािीन्प्रातिकारी, संबंधित पक्षकारों को सुिे िािे

कारुनतरु तअवसरिप्रािकरिकेपशिात्मांमलेकातीमासकीअवनिकेीतरिनपटाराकरेगा।

(3)स्थािीन्प्रातिकारीकेनवनिशिन्सेव्नथतकोईव्नत,थनस्थनत,राज्बालकअनिकारसंरक्षणआर्ोगकोर्ािारा 3
1कीउपारा (3)केअीिनवनहतप्रातिकारीकोअपीलकरसकेगा।

(4)उपारा (3)केअीिकीगईअपीलकानवनिशिनिरा 31कीउपारा (1)केिंड(ग)केअीिर्थाउपबंनित,थनस्थनत,रा

ज्बालक अनिकार संरक्षण आर्ोग्ां 31 कीउपिआ (3) केओीं निवनहत प्रानिकारी द्वारा दकर्ां िागा। 33.

राष्ट्री-सलाहकार पररषिकागठि—

(1) केन्द्री-सरकार, अनिसूिा द्वारा, एकराष्ट्री-सलाहकार पररषिकागठि करेगी, निसमें पंद्रह से अनिक उतिसिस्होंगे, नितिकेन्द्री-सरकार आवश्क समझे, नििकी निरुनत प्रारंनिकनशक्षा और बालनवकास के क्षेत्रमें ज्ञाि और व्वाहाररकि अुिवरिे वाले व्नतर्ो में से कीाएगी।

(2) राष्ट्री-सलाहकार पररषिके कृत्, अनिनिमर्के उपबंिों के प्रािवीरूपमें कार्ायन्वर्िके संबंधिमें केन्द्री-सरकार को सलाहिा, होंगे।

(3) राष्ट्री-सलाहकार पररषिके सिस्ो के तिे और निरुनत के अन्निबंि और शते वेहोंगी, िोनवनहत कीाएं।

34. राज्सलाहकार पररषिकागठि—

(1) राज्सरकार, अनिसूिा द्वारा, एकराज्सलाहकार पररषिकागठि करेगी, निसमें पंद्रह से अनिक उतिसिस्होंगे, नितिराज्सरकार आवश्क समझे, नििकी निरुनत प्रारंनिकनशक्षा और बालनवकास के क्षेत्रमें ज्ञाि और व्वाहाररकि अुिवरिे वाले व्नतर्ो में से कीाएगी।

(2) राज्सलाहकार पररषिके कृत्, अनिनिमर्के उपबंिों के प्रािवीरूपमें कार्ायन्वर्िके संबंधिमें राज्सरकार को सलाहिा, होंगे।

(3) राज्सलाहकार पररषिके सिस्ो के तिे और निरुनत के अन्निबंि और शते वेहोंगी, िोनवनहत कीाएं।

अध्ान

प्रकीणय

35. निेशिारी करि की शनत—(1) केन्द्री-सरकार, थनिस्थनत, समुनित सरकार र्ा स्थािी-प्रानिकारी को

ऐसे मागयि शयकन सद्धातिारी कर सकेगी िो वह इस अनिनिमर्के उपबंिों के कार्ायन्वर्िके प्रोिों के नल एठीक समझे।

(2) समुनित सरकार, इस अनिनिमर्के उपबंिों के कार्ायन्वर्िके संबंधिमें, स्थािी-प्रानिकारी र्ानवद्याल-प्रबंसिनमनत को ऐसे मागयि शयकन सद्धातिारी कर सकेगी और ऐसे निेशिे सकेगी, िो वह ठीक समझे।

(3) स्थािी-प्रानिकारी, इस अनिनिमर्के उपबंिों के कार्ायन्वर्िके संबंधिमें नवद्याल-प्रबंसिनमनत को ऐसे मागयि शयकन सद्धातिारी कर सकेगा और ऐसे निेशिे सकेगी, िो वह ठीक समझे।

36. अनिर्ोिके नल एपूवयमंिरी—िारा 13 कीउपिआ (2), िारा 18 कीउपिआ (5) और िारा 19 कीउपिआ (5) के ओीं िंडी-अपरािों के नल एकोई अनिर्ोिसमुनित सरकार द्वारा, अनिसूिा द्वारा, इसिननमत्त प्रानिकृत दकसी अनिकारी की पूवयमंिरी के नबिसंनस्थति हीं दकर्ां िागा।

37. सिावपूवयक की गई कारयवाई के नल ए संरक्षण—

इस अनिनिमर्ाउसके ओीं बिाएगए दकसी निमर्ािश के अिसरणमें सिावपूवयक की गई र्ा कीािे के नल ए आशनतर्दक सीबात के संबंधिमें को ईवाि, र्ा अन्नवनिक कार्यवाही केन्द्री-सरकार, राज्सरकार, राष्ट्री-बालक अनिकार संरक्षण आर्ोग, राज्सरकार अनिकार संरक्षण आर्ोग, स्थािी-प्रानिकारी, नवद्याल-प्रबंसिनमनत र्ा दकसी व्नत के नवरुद्धि हीं होगी।

38. समुनित सरकार की निमिर्बािे की शनत—(1) समुनित सरकार, अनिनिमर्के उपबंिों के कार्ायन्वर्िके नल ए अनिसूिा द्वारा निमिर्बासकेगी।

(2) नवनशष्टटर्ा और पूवयगामी शनतर्ो की व्ापकता पर प्रनत कूलि प्रावडा लेनबा, ऐसे निमिर्नमिनल नितिसी र्ा दक न्हीनवषर्ो के नल ए उपबंिकर सकेंगे, अथायत्—

(क) िारा 4 के पहले परंतुक के ओीं नवशेष प्रनशक्षणििे की रीनत और उसकी समर्-सीमा;

(ि) िारा 6 के ओीं दकसी आसपास के नवद्याल-की स्थापि के नल ए क्षेत्र र्ा सीमाएं;

(ग) िारा 9 के िंड (घ) के ओीं िोह वषयतक की आर्ु के बालकों के अनिलेिरिािे की रीनत;

(घ) िारा 12 कीउपिआ (2) के ओीं व्की प्रनत पूर्यकी रीनत और सीमा;

(ङ) िारा 14 कीउपिआ (1) के ओीं बालक की आर्ु का अविरण करि हेतु कोई अन्िस्तावेि;

(ि) िारा 15 के ओीं प्रवेश लेिे के नल ए नवस्तारत अवनि और र्दिनवस्तारत अवनिके पशिा त्रवेशनल र्ा िाता है तो अध्र्ि पूरा करि की रीनत;

[(कि) ऐसी रीनत और शते, नििके ओीं रहते हुए िारा 16 कीउपिआ (3) के ओीं दकसी बालक को रोक िासकेगा।]

(छ) वह प्रानिकारी, प्ररूप और रीनत, निसको और निसमें िारा 18 कीउपिआ (1) के ओीं मान्ता प्रमाण पत्र के नल ए आवेि दकर्ां िागा;

(ि) िारा 18 कीउपिआ (2) के ओीं मान्ता प्रमाण पत्र का प्ररूप, अवनि, उसे िारी करि की रीनत और शते;

(झ) िारा 18 कीउपिआ (3) के िूसरे परन्तुक के ओीं सुिवाई का अवसर प्रािकरि की रीनत;

- (ज) िारा 21 कीउपिारा (2) के िंड(घ) के िी िनवद्याल-प्रबं िसनमनतद्वारा दकणि िेवाले अन्कृत;
- (ट) िारा 22 कीउपिारा (1) के िी िनवद्याल-नवकास र्ो ि ितैर करिकीरीनत;
- (ठ) िारा 23 कीउपिारा (3) के िी िनशक्षक को स िे चेति और त्ते तथा उसकी सेवा के निबं ि और शतें;
- (ड) िारा 24 कीउपिारा (1) के िंड(ि) के िी िनशक्षक द्वारा पालिदकणि िेवाले कतयव;
- (ढ) िारा 24 कीउपिारा (3) के िी िनशक्षकों की नशकार्तो को र्ूर करिकीरीनत;
- (ण) िारा 30 कीउपिारा (2) के िी िप्रारंनिक नशक्षापूरी करिके नलए प्रमाणपत्रि केा प्ररूप और रीनत;
- (त) िारा 31 कीउपिारा (3) के िी िप्रानिकरण, उसके गठिकीरीनत और उसके निबं ि और शतें;
- (थ) िारा 33 कीउपिारा (3) के िी िराष्टरी-सलाहकार पररषि के सिस्ो के िे और उकी निरुनत के अन्नि बं ि और शतें;
- (ि) िारा 34 कीउपिारा (3) के िी िराज्जसलाहकार पररषि के सिस्ो के िे और उकी निरुनत के अन्नि बं ि और शतें।

(3) इस अनिनिमर्के िी के न्द्री-सरकार द्वारा बिर्ागर्ा प्रत्े किनमर् और के न्द्री-सरकार द्वारा िारा 20 और िारा 23 के िी िरी प्रत्े क अनिसू ििा, बिाणि के पश िात्, र्थशीघ्र संसि के प्रत्े क सि के समक्ष, िबवह सत्रमें हो, कुलतीस दिकी अव नि के नलए िा िा एगा/रि िा एगी। हर्अवनि एक सत्रमें अथवा िो र्ा अनिकि अगुक्रनमक सत्रों में पूरी हो सकेगी। दिंस सत्र के र्ापू वो ति अगुक्रनमक सत्रों के ठीक बा ि के सत्र के अवसा ि के पूवयिो िों सि िसिनमर्ा अनिसू ििा में कोई पररवतयिकरि के नलए सहम त हो िां एं तो तत्पश िा त्वह एसे पररवर्तयतरूप में ही प्रावी होगा/होगी। दिंस उत अवसा ि के पूवयिो िों सि सहमत हो िां ए दक वह निर्म र्ा अनिसू ििा िहीं बिर्ा/बिर्ी िा िी िानहए तो तत्पश िा त्व वह निष्टि प्राव हो िा एगा/िा एगी। दकन्तु निर्म र्ा अनिसू ििा के एसे पररवर्तयतरूप निष्टि प्राव हो िे से उसके िी ि पहले की गई दकसी बात कीनवनिमान्ता परप्रनतकूलि प्राविर्ी पड़ेगा।

(4) इस अनिनिमर्के िी राज्जसरकार द्वारा बिर्ागर्ा प्रत्े किनमर्ा अनिसू ििा बिाए/बिर्ी के पश िात्, र्थशीघ्र ,राज्जनिविा-मंडल के समक्ष िा एगा/रि िा एगी।

2[39.

करठाइ र्ो को र्ूर करिकी के न्द्री-सरकार की शनत—

(1) दिंस इस अनिनिमर्के उपबं िो को प्रावी करि में कोई करठाइ उत्पन् ि होती है तो के न्द्री-सरकार, रा िपत्र में प्रकानशति ओश द्वारा, एसे उप बं ि, िो इस अनिनिमर्के उपबं िो से असंगति हो, कर सकेगी, िो उस करठाइ को र्ूर करिके नलए आवश्क प्रतीत हों :

परंतु इस िारा के िी को ई िेश, निःशुल्क और अनिवायर्बालनशक्षा का अनिकार (संशो िि) अनिनिर्म, 2012 के प्रारं ि से ती विषय के पश िा त्व िहीं दक र्ा िा एगा।

(2) इस िारा के िी दिदक र्ागर्ा प्रत्े क ओश, उसके दकणि के पश िा त्व, र्थशीघ्र, संसि के प्रत्े क सि के समक्ष िा एगा।]

12019 के अनिनिमर्सं 1 की िारा 3 द्वारा अंतःस्थानपत।

22012 के अनिनिमर्सं 30 की िारा 8 द्वारा अंतःस्थानपत।

अिसू िी

(िारा 19 और िारा 25 िे निए)

नवद्याल-के नलए मा ि और मा िक

क्र०सं० मि मा ि और मा िक

1. नशक्षकों की संख र्ा :

(क) पहली कक्षा से पा िी कक्षा के नलए प्रवेश दक एगए बालक

साठतक

इकसठ से िब्बे के मध्

इ र्ा िवे और एक सौ बीस के मध्

नशक्षकों की संख र्ा

िो

ती ि

िार

एकसौइकीसऔरसौकेमध्य पांि
 एकसौपासबालकोंसेअनिक पांिििेकिप्रािअध्ापक
 िेसौबालकोंसेअनिक छात्र-नशक्षकिअुपात(प्राि
 अध्ापक को छोड़कर) िालीस
 सेअनिकहींहोगा।

(ि)छठीकक्षासेआठवींकक्षाकेनलए

(1) कम से कम प्रनत कक्षा एक नशक्षक, इस प्रकार होगा दकिनमिनलनितप्रत्ेककेनलएकमसेकमएकनशक्षकहो—

(i) नवज्ञािऔरगनणत;

(ii)सामानिकअध्ुरि;

(iii)िाषा।

(2)प्रत्ेकपैतीसबालकोंकेनलएकमसेकमएकनशक्षक।

(3)िहांएकसौसेअनिकबालकोंकोप्रवेशिदर्ागर्ाहैवहां— (i)एकपूणयकानलकिप्रािअध्ापक;

(ii)निमिनलनितकेनलएअंशकानलकनशक्षक—

(अ)कलानशक्षा ;

(आ)स्वास्थ-औरशारीरकनशक्षा ;

(इ)कायर्नशक्षा।

2. िवि

सीमौसमवालेििवि,निसमेंनिमिनलनितहोंगे—

एक

(i) प्रत्ेक नशक्षक के नलए कम से कम एक कक्षा और कार्ायलर्-सह-िंडार-सहिप्रािअध्ापककक्ष;

(ii)बािामु तपहुंि;

(iii)लड़कोंऔरलड़दकर्ोंकेनलएपृथक्शौालर्;

(iv) सी बालकों के नलए सुरनक्षत औरप्रायप्त पेन्लि

सुनवि;

(v)िहांिोपहरकािोििनवद्यालन्मेंपकार्ािताहै,वहां

एकरसोई;

(vi)िलकामैिाि;

क्र०सं० मि मािऔरमािक

(vii)सीमािीवालर्ाबाड़द्वारानवद्यालनिविकीसुरक्षा करिकेनलएवस्थाएं।

3. एकशैक्षणकवषयमेंकायिर्दवसों/नशक्षण (i)पहलीसेपांिीवीकक्षाकेनलएिसौकायिर्दवस;

घंटोंकीन्ूितमसंखर्ा

(ii) छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के नलए िो सौ बीस कायिर्दवस;

(iii)पहलीकक्षासेपांिीवीकक्षाकेनलएप्रनतशैक्षणकवषयआठसौनशक्षणघंटे;

(iv)छठीकक्षासेआठवींकक्षाकेनलएप्रनतशैक्षणकवषयएकिहारनशक्षणघंटे।

4. नशक्षककेनलएप्रनतसप्ताहकायर्घंटोंकी पैतालीसनशक्षणघंटेनिसकेअंतगयततैर्ारीकेघंटेिीहैं।
 न्ूितमसंखर्ा

5. अध्ापिनशक्षणउपस्कर

प्रत्ेककक्षाकेनलएअपेक्षािुसारउपलबिकराएिंएंगे।

6. पुस्तकाल-

प्रत्ेकनवद्यालन्मेंएकपुस्तकाल-होगा,निसमेंसमािारपत्र,
 पनत्रकाएं और सी नवर्षों पर पुस्तकें, नििके अंतगयत कहािी की
 पुस्तकेंिीहैं,उपलबिहोंगी।

7. िेलसामग्री,िलऔरक्रीड़ाउपस्कर

प्रत्ेककक्षाकोअपेक्षािुसारउपलबिकराएिंएंगे।